इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2018—ज्येष्ठ 18, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2018

क्र. 551-704-2016-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 6 के साथ पठित धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 115 द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना

के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों का अवसान होने पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची ''ग'' में,पैरा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(3) यदि कोई आवेदक एक समय में 4, 6, 8, या 10 वर्षों के लिये कारखाना अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है तो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कुल लागू फीस में क्रमश: 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी''.

No. 551-704-2016-A-XVI.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Factories Rules 1962, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 6 read with Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948) is hereby published as required by Section 115 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after expiry of 45 days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule 'C', after para (2), shall be inserted, namely:—

"(3) If the applicant applies for renewal of 4, 6, 8 or 10 years, at a time then the rebate or 20%, 30%, 40% and 50% respectively shall be provided in the total applicable fee from the date of publication of this notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. परमार, अपर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार नियम—2017

क्र. 1162-539-2018-पचास-2.—**प्रस्तावना एवं उद्देश्य:**—हमारे संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से शिक्षा और आजीविका प्राप्त करने, स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने-जाने, अपने विचारों के अभिव्यक्ति करने, आत्मरक्षा करने, आत्म सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है. कई बार अपराधिक और असामाजिक तत्वों की हरकतों से महिलाओं की गरिमा और अस्मिता को आघात पहुँचता है. अनेक महिलाएँ इन तत्वों के कारण शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाती हैं, उन्हें अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है. आसपास के समाज के लोग जो उनके सम्मान के बचाव में तुरंत सहायता के लिए आगे आते है उन्हें कोई प्रोत्साहन, राहत व सहयोग नहीं मिलता, उनके ऐसे कार्य अधिकतर अनदेखे, अनजाने व अनचीन्हें रह जाते हैं.

इसलिये मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि महिलाओं के सम्मान में आपराधिक और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध साहस का प्रदर्शन कर अपने आप का या अन्य किसी का बचाव करने वाली महिला या इन तत्वों से महिलाओं का बचाव करने वाले पुरुषों को भी सम्मानित किया जाये ताकि अन्य महिलाओं को भी अपनी अस्मिता और आत्मरक्षा के लिए कदम उठाने की प्रेरणा मिल सके और ऐसे असामाजिक तत्वों के हौंसले परास्त हो सके. इसे अमलीजामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार ने ''राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार'' योजना शुरू करने का निश्चय किया है. इस योजना का उद्देश्य असामाजिक तत्वों पर महिला विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना,

महिलाओं में साहस का संचार करना, महिला/पुरुष द्वारा किये गये कार्यों की सराहना करना और समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है ताकि इससे अन्य व्यक्तियों को महिलाओं के सम्मान के लिये कार्य करने की प्रेरणा मिले.

2. **शीर्षक:**—यह नियम **''राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार नियम, 17''** कहलायेंगे और मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे.

इस पुरस्कार के विनिमयन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं:—

3. **पात्रता:**—(1) **मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो** मध्यप्रदेश की निवासी से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मूल निवासी की पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाली महिला से है.

2. **समाज में महिलाओं के सम्मान के लिये उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति** (महिला/पुरुष) को जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक या असामाजिक तत्वों या किसी **सामाजिक कुप्रथा** के विरुद्ध साहस का प्रदर्शन कर महिलाओं के सम्मान हेतु अवर्णनीय कार्य किया हो.

4. **विस्तार क्षेत्र:**—यह सम्मान व्यक्ति (महिला/पुरुष) द्वारा मध्यप्रदेश में किसी भी समुदाय की महिलाओं के सम्मान के लिए किए गए साहसिक/सराहनीय कार्यों हेतु दिया जायेगा.

5. **सम्मान का स्वरूप:**—यह योजना **राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार कहलायेगी. समाज में महिलाओं के सम्मान के लिये उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति (महिला/पुरुष) को जिसमें किसी व्यक्ति** द्वारा अपराधिक या असामाजिक तत्वों या किसी **सामाजिक कुप्रथा** के विरुद्ध साहस का प्रदर्शन कर महिलाओं के सम्मान हेतु अवर्णनीय प्रदर्शन कर महिलाओं का ऐसे तत्वों से बचाव करने वाले महिला/पुरुष को राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा. यह पुरस्कार प्रदेश स्तर पर एक लाख रुपये का होगा. इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर प्रदेश की समिति द्वारा चयनित एक व्यक्ति को सम्मानित किया जायेगा.

6. **चयन समिति का गठन:**—प्रत्येत वर्ष पुरस्कार के लिए चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जायेगा.

6.1 **राज्य स्तर पर:**—विभागीय मंत्री के आदेश से दो समाज सेवी महिलाओं एवं तीन शासकीय सदस्यों को शामिल कर चयन समिति का गठन किया जायेगा.

7. **चयन समिति की शक्तियां.**—•राज्य स्तर पर चयन समिति द्वारा जिलास्तर से कलेक्टर की अनुशंसा से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करेंगे.

• पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति/अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.

• प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पर **एक व्यक्ति** का चयन किया जायेगा.

• चयन समिति की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी उसके द्वारा लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुये विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जायेगा.

• चयन समिति के माननीय अशासकीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड ए के समकक्ष रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा.

8. **चयन की प्रक्रिया:**—पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्ति (महिलाओं/पुरुषों) के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:—

8.1 जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना उस वर्ष राज्य एवं जिला स्तर की प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, महिला एवं बाल विकास की ओर से प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रमुख प्रादेशिक समाचार-पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राज्य शासन की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा. विज्ञप्ति जाहिर करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेंगे.

8.2 प्रविष्टि उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्ति से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आयुक्त, महिला एवं बाल विकास की ओर संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगें. जिला कार्यक्रम अधिकारी समयावधि में प्राप्त समस्त आवेदनों का परीक्षण कर विधिवत जिला कलेक्टर की अनुशंसा सहित निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए संचालनालय में प्रेषित करेंगे. समयावधि के पश्चात् प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जाएंगी.

8.2.1 समाज में महिलाओं के सम्मान के लिये उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला अथवा पुरुष का पूर्ण परिचय.

8.2.2 संबंधित घटना का पूर्ण विवरण.

8.2.3 प्रमाण स्वरूप अखबार की कतरन/छाया चित्र/एफ.आई.आर. हुई हो तो उसकी प्रति.

8.2.4 यदि अन्य कोई उल्लेखनीय/साहसिक कार्य किया गया हो तो उसका विवरण.

8.2.5 चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में महिला/पुरुष की सहमति.

8.3 चयन के लिए योजना में निर्दिष्ट मापदंडों के अलावा कोई शर्तें लागू नहीं होगी.

8.3.1 एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां एक बार के लिए ही विचारणीय होंगी.

8.3.2 राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए अलग प्रविष्टि भेजनी होगी जिस पर स्पष्ट तौर पर लिखा जाना होगा ''राज्य स्तरीय **राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार**'' पुरस्कार के लिए

8.4 प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा.

8.5 प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रस्तुतकर्ता का रहेगा, इस संबंध में राज्य शासन/जिला प्रशासन को यह अधिकार होगा कि जहां यह आवश्यक समझे अपने सूत्रों से दिए गए तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों की पुष्टि कर सकें.

8.6 निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के एक सप्ताह की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जायेगा.

प्रपत्र

चयन दिनांक	महिलाओं के सम्मान के लिये उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति (महिला/पुरुष) का नाम	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता	प्राप्त कागजातों की कुल पृष्ठ संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

8.7 पंजीयन के बाद राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आयुक्त, महिला एवं बाल विकास के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा 10 दिन की समयावधि में तैयार कर राज्य शासन/जिला कलेक्टर को निम्नांकित शीर्षक में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में चयन समिति की बैठक के लिए संक्षेपिका अधिकतम 10 दिवस की समयावधि में तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी:—

महिलाओं के सम्मान के लिये उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला/पुरुष का नाम तथा पेशा.

- उपरोक्त का संक्षिप्त परिचय
- उल्लेखनीय कार्य/घटना का विवरण
- प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
- प्रमाण-सम्मितियां
- पुरस्कार ग्रहण करने बावत् सहमति

8.8 चयनित व्यक्ति को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा विशेष परिस्थितियों में वे अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ ला सकेंगे जिन्हें यात्रा भत्ता देय के अलावा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा. चयनित व्यक्ति एवं सहायक को रेलगाड़ी में AC-II का किराया पाने की पात्रता होगी.

9. **चयन मापदंड:**—पुरस्कार के लिए पात्र व्यक्ति के चयन हेतु निम्न मापदंड रहेंगे.

9.1 संबंधित उल्लेखनीय/साहसिक घटना मध्यप्रदेश राज्य में प्रश्नाधीन वर्ष के 01 जनवरी से 31 दिसम्बर में घटित हुई हो.

9.2 चयन समिति के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिए उस वर्ष के पुरस्कार के लिए प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे जिस वर्ष वे इसके सदस्य हैं.

9.3 इस पुरस्कार के अलावा अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति भी पुरस्कार के लिए प्रविष्टि भेजने के पात्र होंगे.

10. **सम्मान की घोषणा:**—चयन समिति द्वारा जिन व्यक्तियों का चयन होगा उनके बारे में राज्य शासन से निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जाएगी. सहमति प्राप्त होने के बाद राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए व्यक्ति के नाम की औपचारिक घोषणा प्रतिवर्ष 28 फरवरी को (अवकाश होने पर अगले कार्यकारी दिवस) पर की जायेगी एवं पुरस्कार का वितरण 8 मार्च को किया जायेगा.

11. **अलंकरण समारोह:**—यह सम्मान प्रतिवर्ष घोषणा अनुसार अलंकरण समारोह में प्रदान किया जायेगा. अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जायेगा.

12. **वित्तीय प्रावधान एवं शक्तियां:**—सम्मान प्रक्रिया, चयन समितियों की बैठकों का व्यय एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा.

13. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन:**—राज्य शासन महिला एवं बाल विकास विभाग को इन नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की व्याख्या अधिकृत एवं अंतिम मानी जायेगी, ऐसे मामले जिनका योजना/नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग में वेष्ठित होंगे.

14. **पुरस्कार से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव:**—राज्य स्तरीय पुरस्कारों के मामले में आयुक्त, महिला एवं बाल विकास म. प्र. प्रतिवर्ष के पुरस्कार की प्रविष्टियों, चयनित व्यक्तियों (महिला/पुरुष) आदि का रिकार्ड एक अलग-अलग जिल्द में संधारित करेंगे, चयनित व्यक्ति के कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक विवरणिका जारी की जायेगी जिसमें इस पुरस्कार का स्वरूप तथा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति का अद्यतन विवरण दिया जायेगा.

15. **पुरस्कार की घोषणा एवं वितरण:**—चयन समिति द्वारा जिस व्यक्ति का चयन होगा उनके बारे में राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु राज्य शासन से निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जाएगी. उनसे सहमति प्राप्त होने के बाद राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए व्यक्ति के नाम की औपचारिक घोषणा प्रतिवर्ष 28 फरवरी को (अवकाश होने पर अगले कार्यकारी दिवस) पर की जायेगी एवं पुरस्कार का वितरण 8 मार्च को किया जायेगा.

16. **व्यय की सम्पूर्ति एवं वित्तयी शक्तियां:**—इस राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु बजट में प्रतिवर्ष समुचित प्रावधान रखा जायेगा एवं स्वीकृत मद पर व्यय के पूर्ण अधिकार राज्य स्तरीय समारोह हेतु आयुक्त, महिला एवं बाल विकास को होंगे, इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृत की आवश्यकता नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जून 2018

फा.क्रं. 2007/21–बी(दो), आनंद विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल आनंद विवाहों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएंः–

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, आनंद विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7);

(ख) ''अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार विवाह'' से अभिप्रेत है, उसकी क्षेत्राधिकारिता के भीतर क्षेत्र के उप संभागीय मजिस्ट्रेट (राजस्व) ;

(ग) ''आनंद विवाह'' से अभिप्रेत है, सामान्यतः आनंद कारज नामक ''आनंद'' द्वारा अनुष्ठापित सिख विवाह;

(घ) ''मुख्य रजिस्ट्रार विवाह'' से अभिप्रेत है, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी जो अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ड) ''जिला रजिस्ट्रार'' से अभिप्रेत है, जिले का कलक्टर;

(च) ''विदेशी राष्ट्रिक'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो और इसमें सम्मिलित हैं भारतीय मूल के व्यक्ति (पी आई ओ) तथा भारत के विदेशी नागरिक (ओ सी आई);

(छ) ''अनिवासी भारतीय'' (एन आर आई) से अभिप्रेत है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर या तो स्थाई रूप से अथवा अस्थाई रूप से निम्नलिखित प्रयोजन से बस गया होः–

(एक) भारत के बाहर रोजगार करने के लिए या रोजगार कर रहा हो ; अथवा

(दो) भारत के बाहर कारबार अथवा व्यवसाय के लिए;

(तीन) किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो उसे ऐसे प्रयोजन को पूरा करने या संपूर्ण करने के लिए अनिश्चित या अवधारित कालावधि के लिए भारत की क्षेत्रीय सीमा से बाहर रहने की ऐसी परिस्थितियों में उसके आशय को दर्शाए;

(ज) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(झ) "संबंध" से अभिप्रेत है, दुल्हे तथा दुल्हन के परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त उनके अविभावक, अर्थात्:–

(एक) पैतृक तथा मातृक दादा, नाना / दादी, नानी;

(दो) अंकल(चाचा / फूपा / मामा / मौसा) / आंटी (चाची / बुआ / मामी / मौसी);

(तीन) भाई;

(चार) बहन; और

(पांच) भतीजा / भतीजी।

(ञ) "रजिस्टर" से अभिप्रेत है, आनंद विवाहों के रजिस्टर;

(ट) "विवाहों के रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, उनसे संबंधित अधिकारिता के तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार; और

(ठ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं।

3. आनंद विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण:–

मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अनुष्ठापित आनंद विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उनसे संबंधित अधिकारिता के भीतर आनंद विवाहों के रजिस्ट्रार होंगे।

4. अधिकारिताः–

आनंद विवाह को उस रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जिसकी अधिकारिता में ऐसा विवाह अनुष्ठापित किया गया है ।

5. विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करनाः–

(1) आनंद विवाह के पक्षकार या यथास्थिति, उनके कोई अभिभावक या संबंधी को विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए, ऐसे विवाह से तीन माह की कालावधि के भीतर संबंधित विवाहों के रजिस्ट्रार के समक्ष प्ररूप–एक में ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि विवाह के पक्षकारों में से एक पक्षकार अनिवासी भारतीय है, ऐसी दशा में वे प्ररूप–एक में विवाह के ज्ञापन के साथ प्ररूप एक–क में यथा विनिर्दिष्ट समस्त आवश्यक जानकारी संलग्न करेगें।

(3) ज्ञापन, न्यायालय फीस स्टांप के प्ररूप में पंद्रह सौ रूपए की शुल्क के साथ दिया जाएगा।

(4) विवाहों के रजिस्ट्रार, नियम 7 के उपबंधों से, स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए ज्ञापन के प्राप्त होने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर विवाह को रजिस्टर करेगा।

6. नियत कालावधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया ज्ञापनः–

(1) यदि आनंद विवाह के पक्षकार या यथास्थिति, उनके कोई अभिभावक या संबंधी विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए, संबंधित विवाह के रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करता है जोः–

(क) तीन माह की कालावधि के अवसान के पश्चात् किन्तु विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से छह माह की कालावधि के पश्चात् न हो, तो ऐसे विवाह नियम 5 के उप–नियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त एक हजार रूपए की विलंब फीस के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत होंगे;

(ख) छह माह की कालावधि के अवसान के पश्चात् किन्तु विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर हैं, तो ऐसे विवाह नियम 5 के उप–नियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त पंद्रह सौ रूपए की विलंब फीस के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए, केवल संबंधित विवाह के जिला रजिस्ट्रार की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत होंगे;

(ग) विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से एक वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के अवसान के पश्चात् हो, तो ऐसे विवाह नियम 5 के उप–नियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त दो हजार रूपए की विलंब फीस के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए, केवल विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत होंगे;

(2) उपरोक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट पक्षकार उनके ज्ञापन शपथ–पत्र (नोटरी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित) के साथ उसे देर से प्रस्तुत करने के लिए कारणों को वर्णित कर प्रस्तुत करेंगे।

7. आनंद विवाहों का सत्यापन तथा रजिस्ट्रीकरणः–

(1) जहां नियम 5 के उप–नियम (1) अथवा उप–नियम (2) के अधीन प्राप्त ज्ञापन तथा दस्तावेजों के सत्यापन और संवीक्षा पर, रजिस्ट्रार विवाह के अनुष्ठापित हो जाने का समाधान कर लेता है, तब वह विवाह की विशिष्टियों को रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा और प्ररूप–चार में आनंद विवाह का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रार को यह विश्वास होने का कारण है कि,–

(क) पक्षकार के मध्य विवाह एक आनंद विवाह नहीं है; या

(ख) विवाह के अनुष्ठापन के पक्षकारोंया प्रमाणित करने वाले साक्षियों की पहचान सिद्ध नहीं हैं; या

(ग) उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों से पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति साबित नहीं होती है;

तब वह पक्षकारों को, ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की कालावधि के भीतर,पक्षकारों और साक्षियों की पहचान सिद्ध करने के लिए ऐसी और जानकारी अथवा दस्तावेज जैसा कि वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी या दस्तावेजों में, सुधार करने हेतु आहूत करेगा।

8. आनंद विवाह का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करनाः–

यदि विवाह के पक्षकार नियम 7 के उप–नियम (2) के अधीन उसके द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहते हैं तो रजिस्ट्रार, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए आनंद विवाह को रजिस्टर करने से इंकार करेगा।

9. विवाह रजिस्टर में प्रविष्टि का सुधार अथवा निरस्तीकरणः–

यदि रजिस्ट्रार स्व–प्रेरणा से अथवा किसी व्यक्ति से आवेदन की प्राप्ति पर यह पाता है कि विवाह की प्रविष्टि किसी भी रूप या सार में त्रृटिपूर्ण हैं या कपटपूर्वक या अनुचित रूप में की गई है, तब वह उक्त प्रयोजन के लिए संधारित रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टि को, इस बारे में आख्यापक आदेश जारी करने के पश्चात् ,यथास्थिति, सुधार अथवा निरस्त कर सकेगा तथा ऐसे रजिस्टर के अभ्युक्तियां कालम में इस प्रभाव की प्रविष्टि करेगाः

परन्तु, विवाह रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित पक्षकार को ऐसे आदेश को पारित करने के पूर्व ऐसे विवाह से संबंधित रजिस्टर में प्रविष्टि को ,यथास्थिति, ऐसे सुधार अथवा निरस्तीकरण के लिए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

10. विवाह के रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध अपीलः–

(1) विवाह के रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, प्ररूप–दो में ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, विवाह के जिला रजिस्ट्रार को न्यायालय फीस स्टांप के रूप में एक हजार रूपए की फीस का भुगतान कर, अपील दर्ज करा सकेगा।

(2) विवाह के जिला रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, प्ररूप–तीन में ऐसे आदेश के प्रति की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर, विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार को न्यायालय फीस स्टांप के रूप में पांच हजार रूपए की फीस का भुगतान कर, अपील दर्ज करा सकेगा।

11. रजिस्ट्रीकृत विवाह की रिपोर्ट की प्रस्तुतिः–

(1) विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य में अनुष्ठापित विवाह की रिपोर्ट प्ररूप–चार में तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को, तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा।

(2) विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार, विवाह के रजिस्ट्रार को, समय–समय पर, अभिलेखों/रजिस्टरों के संधारण के संबंध में, जैसा वह उचित समझे, निदेश जारी करेगा।

(3) विवाह का मुख्य रजिस्ट्रार, विवाह के जिला रजिस्ट्रार को उससे संबंधित अधिकारिता के भीतर आने वाले विवाहों के रजिस्टर के अभिलेखों के कालिक निरक्षण हेतु निदेशित कर सकेगा।

(4) रजिस्ट्रार जिला रजिस्ट्रार को नियम 9 के अधीन सुधार की तारीख के साथ सुधारों की विशिष्टियों को और उसकी एक प्रति भी अग्रेषित करेगा।

12. आनंद विवाह रजिस्टर का संधारण :–

विवाह का प्रत्येक रजिस्टर प्ररूप–पांच (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में) में आनंद विवाह का संधारण करेगा। जो समस्त समुचित समयों पर निरिक्षण के लिए खुला होगा तथा उसमें अंतर्विष्ट विवरणों को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाएगा तथा आवेदन करने पर, रजिस्ट्रार द्वारा विवाह के पक्षकारों को उसके प्रमाणित उद्धरण 100/– रूपए की फीस के भुगतान पर दिए जाएगें।

प्ररूप एक
(नियम 5 देखिए)
आनंद विवाह का रजिस्टर

1. विवाह की तारीखः–	
2. विवाह का स्थानः ग्राम/नगर/शहर की विशिष्ट जिला	

पति के हस्ताक्षर

पति का फोटो चिपकाएं	पत्नी का फोटो चिपकाएं

पत्नी के हस्ताक्षर

3. विवाह के पक्षकारों के विवरण (जैसे की विवाह की तारीख पर हैं)

विवाह		पति	पत्नी
(क)	पूरा नाम (केपिटल अक्षरों में)		
(ख)	राष्ट्रीयता		
(ग)	आयु तथा जन्म तिथि (पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं)		
(घ)	स्थाई पता		
(ड.)	वर्तमान पता		
*(च)	पूर्व वैवाहिक स्थिति अविवाहित विधुर विधवा तलाकशुदा		
(छ)	पिता का नाम तथा पता		
(ज)	माता का नाम तथा पता		

* जो लागू है उस पर चिन्ह ( ) अंकित करें।

4. विवाह के अनुष्ठापन के साक्षी

1. (क) नाम :

(ख) पता :

तारीख के साथ हस्ताक्षर

2. (क) नाम :

(ख) पता :

तारीख के साथ हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु स्थान

5. ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख.....
6. नियम 6 के अधीन अपेक्षित किए गए विवाह के दस्तावेज/अभिलेखों/प्रमाण के विवरण:

दिनांक:

रजिस्ट्रार.....

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक...../(वर्ष)

तारीख.....
रजिस्ट्रार

प्ररूप एक–क

(नियम 5 (2) देखिए)

ऐसे विवाह की दशा में, जहां एक पक्षकार अप्रवासी भारतीय अथवा विदेश राष्ट्रीयता का है।

ऐसे पक्षकारों के लिए यह आज्ञापक होगा कि वे निम्नलिखित विवरण लिखित में प्रकट तथा वर्णित करें:

1.	उसका पासपोर्ट क्रमांक:
2.	पासपोर्ट जारी करने वाले देश का नाम तथा स्थान:
3.	पासपोर्ट की वैधता:
4.	वर्तमान विदेशी देश में स्थाई निवास का पता:
5.	वर्तमान विदेशी देश में कार्यालय/कार्य का पता:
6.	वर्तमान में वैध सामाजिक सुरक्षा क्रमांक अथवा कोई ऐसा समरूप अन्य कार्यालयीन पहचान का प्रमाण जो विदेशी देश द्वारा जारी किया गया हो।

यह जानकारी विवाह के प्रमाण–पत्र में तथा वैसी ही विवाह रजिस्टर में भी प्रविष्ट की जाएगी।

प्ररूप–दो
(नियम 6 देखिए)
आनंद विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन

1.	विवाह की तारीखः–	
2.	विवाह का स्थानः	विशिष्ट ग्राम / नगर / शहर / जिला

3. विवाह के पक्षकारों के विवरण (जैसे की विवाह की तारीख पर हैं)

	विवाह	पति	पत्नी
(क)	पूरा नाम (केपिटल अक्षरों में)		
(ख)	राष्ट्रीयता		
(ग)	आयु तथा जन्म तिथि (पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं)		
(घ)	स्थाई पता		
(ड.)	वर्तमान पता		
*(च)	पूर्व वैवाहिक स्थिति अविवाहित विधुर विधवा तलाकशुदा		
(छ)	पिता का नाम तथा पता		
(ज)	माता का नाम तथा पता		

* जो लागू है उस पर चिन्ह ( ) अंकित करें।

4. विवाह के अनुष्ठापन के साक्षी

1. (क) नाम :

(ख) पता :

(ग) तारीख के साथ हस्ताक्षर

2. (क) नाम :

(ख) पता :

(ग) तारीख के साथ हस्ताक्षर

5. नियम के अधीन अपेक्षित किए गए विवाह के दस्तावेज/अभिलेख/सबूत के विवरणः

पक्षकारों की घोषणा

हम *.....एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दर्शाए गए विवरण हमारे ज्ञान एवं विश्वास से सत्य हैं।

पक्षकारों के नामः

स्थान	1.	पति
दिनांक	2.	पत्नी

(कार्यालय उपयोग हेतु)

पोस्ट/व्यक्ति द्वारा प्राप्ति दिनांक.....

रजिस्ट्रार द्वारा विवाहों के रजिस्टर (सामान्य) में रजिस्ट्रीकृत दिनांक.....रजिस्ट्रकरण क्रमांक.....

रजिस्ट्रार, आनंद विवाह

* पति तथा पत्नी के नाम

प्ररूप–तीन

(नियम 6 (2) देखिए)

घोषणा

हम, मैं.....यह घोषणा करते है कि हमारा विवाह .....(विवाह की तारीख) को .....(विवाह का स्थान) में अनुष्ठापित हुआ था।

नियम 6 के अधीन विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर..... कारण से (विशिष्ट कारण बताएं) प्रस्तुत नहीं हो सका। हम, एतद्द्वारा, हमारे विवाह के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से ज्ञापन (प्ररूप–दो) अनुष्ठापित किए गए सबूत के साथ प्रस्तुत है।

स्थानः

तारीखः

पति के हस्ताक्षर पत्नी के हस्ताक्षर

---

1. पति एवं पत्नी के नाम।

प्ररूप क्रमांक चार
(नियम 7 (एक) देखिए)
मध्यप्रदेश शासन
आनंद विवाह का प्रमाण–पत्र

(नियम 7 के अधीन जारी मध्यप्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2018)
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

दिनांक.....

यह सत्यापित है कि निम्नलिखित जानकारी .....(स्थानीय क्षेत्र) के रजिस्ट्रार कार्यालय से प्ररूप क्रमांक एक में संधारित आनंद विवाहों के रजिस्टर से ली गई हैं

1. विवाह की तारीख.....

2. विवाह का स्थान.....(प्ररूप क्रमांक 1 के अनुसार)

3. विवाह के पक्षकारों के विवरण–

विवरण	पति	पत्नी
(क) पूरा नाम (कैपिटल अक्षर में)		
(ख) राष्ट्रीयता		
(ग) आयु तथा जन्म तिथि		
(घ) व्यवसाय		
(ड.) स्थाई पता		
(च) फोटो (कार्यालयीन मुद्रा फोटोग्राफ)		

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा वर्ष.....

रजिस्ट्रीकरण की तारीख.....

रजिस्ट्रार, आनंद विवाह

प्ररूप–पांच
(नियम 12 देखिए)
विवाह रजिस्टर

अनुक्रमांक	दुल्हा / दुल्हन के नाम	दुल्हा / दुल्हन दोनों के माता–पिता	दुल्हा / दुल्हन दोनों के निवास का पता	विवाह के अनुष्ठापन की तारीख	स्थान जहां विवाह अनुष्ठापित हुआ	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 04 जून, 2018

फाईल क्रमांक 2007 / 21–बी(दो) – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना फाईल क्रमांक 2007 / 21–बी(दो) दिनांक 04 जून, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ल, अपर सचिव.

Bhopal the 4th June, 2018

F.No.2007/21-B(Two), In exercise of the powers conferred by section 6 of the Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909), the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules to provide for the registration of Anand Marriages, namely;-

RULES

Short title and commencement:-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Anand Marriages Registration Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions:-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909);

(b) "Additional District Registrar of Marriages" means the Sub Divisional Magistrate (Revenue) of the area within his jurisdiction;

(c) "Anand marriage" means a Sikh marriage solemnized by "Anand" commonly known as Anand Karaj;

(d) "Chief Registrar of Marriages" means the Secretary to Government of Madhya Pradesh Law and Legislative affairs department or an officer

authorized by him not below the rank of Additional Secretary to Government of Madhya Pradesh;

(e) "District Registrar" means the collector *of the District*;

(f) "foreign national" means any person who is not a citizen of India and shall include Persons of Indian Origin (PIO) and Overseas Citizens of India (OCI);

(g) "Non-resident Indian" (NRI) means a person of Indian origin, who is either permanently or temporarily settled outside India for any of the following purposes:-

(i) For or on taking up employment outside India; or

(ii) For carrying on a business or vocation outside India; or

(iii) For any other purpose, as would indicate his/her intention in such circumstances to stay outside the territorial limits of India for an uncertain or determined period for fulfilling or completing such purpose;

(h) "Form" means a Form appended to these rules;

(i) "Relations" means the family members of the Bridegroom and the Bride, apart from their parents, namely:-

(i) paternal and maternal grandfather/ grandmother;

(ii) uncle and aunt;

(iii) brother;

(iv) sister; and

(v) cousin.

(j) "Register" means a Register of Anand marriages;

(k) "Registrar of Marriages" means a Tehsildar or a Naib Tehsildar within their respective jurisdiction; and

(l) "State Government" means the Government.

(2) The words and expressions used in these rules, but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Authorisation for registration of Anand marriages:-

For the purpose of registration of Anand marriage solemnized within the State of Madhya Pradesh, the Tehsildar and the Naib Tehsildar shall be the Registrar of Anand Marriages within their respective jurisdiction.

4. Jurisdiction:-

The Anand marriage shall be registered with the Registrar within whose jurisdiction such marriage has been solemnized.

5. Presentation of memorandum for registration of marriage.-

(1) The parties to an Anand marriage or any of their parents or relations, as the case may be, shall present the memorandum in Form-I, before the Registrar of Marriages concerned, for registration of marriage within a period of three months from the date of such marriage.

(2) If one of the parties to the marriage is Non-resident Indian, in that case, they shall attach all necessary information as specified in the Form I-A, alongwith the memorandum of marriage in Form-I.

(3) The memorandum shall be accompanied with a fee of rupees fifteen hundred in the form of court fee stamps.

(4) The Registrar of Marriages, after satisfying himself the provisions of rule 7, shall register the marriage within a period of one month from the date of receipt of the memorandum for the purpose.

6. Memorandum submitted after the stipulated period.-

(1) In case the parties to an Anand marriage or any of their parents or relations, as the case may be, submits memorandum for registration of marriage to the Registrar of Marriage concerned,-

(a) after the expiry of a period of three months but not after a period of six months from the date of solemnization of the marriage, such marriage shall be registered subject to the payment of a late fee of rupees one thousand, in addition to the fee as specified in sub-rule (3) of rule 5;

(b) after the expiry of a period of six months but within a period of one year from the date of solemnization of the marriage, such marriage shall be registered only after obtaining the written permission of the District Registrar of Marriages concerned, subject to payment of a late fee of rupees fifteen hundred in addition to the fee, as specified in sub-rule (3) of rule 5; and

(c) after the expiry of a period of one year or above from the date of solemnization of the marriage, such marriage shall be registered only after obtaining the written permission of the Chief Registrar of Marriages, subject to payment of a late fee of rupees two thousand in addition to the fee as specified in sub-rule (3) of rule 5.

(2) The parties referred above in sub-rule (1), shall submit their memorandum alongwith an affidavit (duly attested by the Notary or any other officer authorized by the State Government), describing the reasons for its late submission

7. Verification and registration of Anand marriages.-

(1) Where on verification and scrutiny of the memorandum and documents received under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 5, the Registrar is satisfied that the marriage has been solemnized, he shall enter the particulars of the marriage in the register and issue a Certificate of Anand Marriage in Form-IV.

(2) Where the Registrar has reasons to believe that,-

(a) the marriage between the parties is not an Anand marriage; or

(b) the identity of the parties or the witnesses testifying the solemnization of the marriage is not established; or

(c) the documents tendered before him do not prove the marital status of the parties;

he shall, call upon the parties to produce such further information or documents as he may deem necessary, for establishing the identity of the parties and the witnesses or corrections of the information or documents presented to him within a period of thirty days from the date of receipt of memorandum.

8. Refusal of registration of Anand marriage:-

The Registrar shall, for the reasons to be recorded in writing, refuse to register the Anand marriage, if the parties to the

marriage fail to comply with the directions issued by him under sub-rule (2) of rule 7.

9. Correction or cancellation of entry in the Marriage Register:-

If the Registrar of Marriages suo-moto or on receipt of an application from any person, finds that the entry of a marriage is erroneous in form or substance or has been fraudulently or improperly made, he may correct or cancel, as the case may be, such entry in the register maintained for the purpose, after passing a speaking order in this behalf and make an entry to that effect in the remarks column of such register:

Provided that the parties concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard, before passing of such an order by the Registrar of Marriages, for such correction or cancellation, as the case may be, of entry in the register pertaining to such marriage.

10. Appeal against the orders of Registrar of Marriages:-

(1) Any person aggrieved of an order passed by the Registrar of Marriages, may file an appeal within a period of thirty days from the date of passing of such order, to the District Registrar of Marriages in Form-II, on payment of a fee of rupees one thousand in the form of court fee stamps.

(2) Any person aggrieved of an order passed by the District Registrar of Marriages, may file an appeal to the Chief registrar of marriages in Form-III within a period of sixty days from the date of receipt of copy of such order, on

payment of a fee of rupees five hundred in the form of court fee stamps.

11. Submission of report of the marriages registered:-

(1) The Chief Registrar of Marriages shall prepare the report of the marriages solemnized in the State of Madhya Pradesh, in Form-IV and submit the same to the State Government, on quarterly basis.

(2) The Chief Registrar of marriages, shall issue directions to the Registrars of Marriages, regarding maintenance of records/registers, from time to time, as he deems fit.

(3) The Chief Registrar of Marriages may direct the District Registrar of Marriages, to periodically inspect the records of the Registrar of Marriages, falling within their respective jurisdiction.

(4) The Registrar shall also forward particulars of the corrections made under rule 9 with the date of correction and a copy thereof to the District Registrar.

12. Maintenance of Anand Marriage Register:-

Every Registrar of Marriages shall maintain an Anand Marriage Register in Form-V (both in English and Hindi languages). It shall, at all reasonable times, be open for Inspection and shall be admissible as evidence of the Statements contained therein and certified extract there from shall on an application, be given by the Registrar to the parties to the marriage on the payment of fees Rs. 100/-.

FORM-I

[See rule 5]

REGISTER OF ANAND MARRIAGES

1. Date of Marriage:-

2. Place of Marriage:	Particular of Village/Town/City	District

Signature of the Husband

Photo of the Husband to be affixed	Photo of the Wife to be affixed

Signature of the Wife

3. Details of Parties to the Marriage (As on the date of marriage)

Details	Husband	Wife
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Age and date of birth (sufficient proof shall be produced)		
(d) Permanent address		
(e) Present address		
* (f) Previous marital status Unmarried Widower Widow Divorced		
(g) Name and Address of Father		
(h) Name and Address of Mother		

* Put () mark on whichever is applicable.

Witness of solemnization of marriage

(a) Name :

(b.) Address: Signature with date

2. (a) Name :

(b.) Address: Signature with date

SPACE FOR OFFICE USE

5. Date of Receipt of Memorandum .....

6. Details of Documents/records/proof of marriage required under rule 6:

Date :

Registrar

Registration No. /(year)

Date .....

Registrar

FORM-1-A

[See rule 5(2)]

In case of any marriage, where one of the parties is Non - Resident Indian or Foreign National.

It shall be mandatory for such parties to disclose and mention in writing the following details:

1. His/her Passport Number:
2. Name and place of the Passport Issuing country:
3. Validity of Passport:
4. Permanent Residential address in the Country of current overseas adobe
5. Official/work address in the country of Current overseas adobe
6. Valid, present Social Security number or any such similar other identification proof officially issued by the country of foreign adobe

This information shall be entered in the certificate of marriage as also in the marriage register.

FORM-II

[See rule 6]

MEMORANDUM FOR REGISTRATION OF ANAND MARRIAGES

1. Date of Marriage:-

2.

Place of Marriage: District	Particular of Village/Town/City

3. Details of Parties to the Marriage (As on the date of marriage)

Details	Husband	Wife
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Age and date of birth (sufficient proof shall be produced)		
(d) Permanent address		
(e) Present address		
* (f) Previous marital status Unmarried Widower Widow Divorced		
(g) Name and Address of father		
(h) Name and Address of mother		

* Put () mark on whichever is applicable.

4. Witness of lolemnization of marriage

(a) Name:

(b) Address:

(C) Signature with date

FORM-III
[See rule 6 (2)]
DECLARATION

We, I ..... do hereby declare that our marriage was solemnized on ..... (Date of Marriage) at (place of marriage).

The memorandum for registration of marriage could not be submitted within the period specified under rule 6 due to (specify reason). We hereby submit memorandum (Form-II) along with documents to prove the solemnization of the purpose of registration of our marriage.

Place:

Date:

Signature of Husband

Signature of Wife

FORM NO-IV
[See rule 7 (1)]

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

Department of Justice

CERTIFICATE OF ANAND MARRIAGE

[Issued under the Madhya Pradesh **Anand Marriage Registration Rules, 2018**]

Certificate No .....

Dated .....

This is to certify that the following information has been taken from the Register of Anand Marriages maintained in Form No. 1 in the office of the Registrar of .....(local area)

1. Date of Marriage .....
2. Place of Marriage ..... (as in Form No.1)
3. Details of parties to the marriage

Details	Husband	Wife
(a) Name in full (in capital letters)		
(b) Nationality		
(c) Age and date of birth		
(d) Occupation		
(e) Permanent address		
(f) Photographs (Office seal covering photographs)		

Registration No. With year

Date of Registration .....

Registration of Anand Marriages

FORM-V

[See rule 12]

MARRIAGE REGISTER

S. N.	Name of the Bridegroom / Bride	Parentage of both Bridegroom/ Bride	Residential address of both bridegroom / bride	Date solemnization of marriage	Place where marriage solemnized	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANTOSH PRASAD SHUKL, Addl. Secy.

कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग
220, राजस्व राहत भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2018

क्र. एफ. भूसुआ-2017-422.—

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की वे धारायें, जिनमें नियम बने हैं (अद्यतन)

अनु क्र.	धारा	नियम लागू होने की दिनांक	रिमार्क धारा 258(2) में सम्मिलित हाँ / नही
1.	धारा 9	मंडल की अधिकारिता नियम – इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व मंडल ने म.प्र. राजपत्र दिनांक 30 अक्टूम्बर 1959 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 1968–30–59, ई.एस.टी.टी., दिनांक 17 अक्तबर 1959 द्वारा राजस्व मंडल के अधिकारिता नियमों का निर्माण किया है –	नही
2.	धारा 9	मंडल की प्रक्रिया एवं प्रथा के नियम – धारा 41 के अधीन म.प्र. राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 364, दिनांक 26 फरवरी 1959 द्वारा राजस्व मंडल ने अपने मामलों में प्रयुक्त प्रक्रिया और प्रथा के नियम	नही
3.	धारा 9	राजस्व मंडल शपथपत्र नियम – अधिसूचना क्र. 1851–53, दिनांक 22 अप्रैल 1963 द्वारा राजस्व मंडल ने नियम बनाए हैं।	नही
4.	धारा 13	विद्यमान संभागों आदि में परिवर्तन के नियम – उपधारा (1) तथा (2) में राज्य सरकार को संभागों, जिलों तथा तहसीलों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 174–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने इस संबंध में नियम बनाए हैं।	नही
5.	धारा 41	राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली तथ प्रक्रिया के नियमें – म.प्र. राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 365, दिनांक 26 फरवरी 1960 द्वारा निर्मित नियम।	नही

6.	धारा 41	समन, सूचना और आदेशिकाओं की तामील, मान्यताप्राप्त अभिकर्ता, कार्यवाहियों का समेकन तथा अन्य विषयों के संबंध में नियम – म.प्र. राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 366, दिनांक 26 फरवरी 1960 द्वारा निर्मित नियम।	नही
7.	धारा 41	अर्जी लेखको के संबंध में नियम – म.प्र. राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 367, दिनांक 26 फरवरी 1960 द्वारा निर्मित नियम।	नही
8.	धारा 59	भूमि के प्रयोजन के व्यपवर्तन के नियम – म.प्र. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 11.07.2014 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 2–1–2012–सात–शा–6 दिनांक 10 जुलाई, 2014 द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (पैंतालीस–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 175–6477–सात–एन(नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद द्वारा निर्धारण के परिवर्तन और प्रीमीयम के अधिरोपण से संबंधित नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके है।	हाँ
9.	धारा 59	म.प्र. राजपत्र दिनांक 4 दिसम्बर 1987 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ–37–1–सात–शा–8–87, दिनांक 4 दिसंबर 1987 द्वारा संहिता की धारा 258 की उपधारा (2) के खंड (तीन) के साथ पठित धारा 59,60,71 तथा 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ड़) में विनिर्दिष्ट की गई भूमि पर भू–राजस्व के निर्धारण को विनियमित करने हेतु नियम बनाए हैं।	हाँ

10.	धारा 60	भू–राजस्व निर्धारण के नियम – राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 176–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा धारा 60 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर पूर्व निर्मित समस्त नियमों को उत्क्रमित करते हुए, राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं।	हाँ
11.	धारा 68	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 177–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा संहिता की धारा 71 तथा 85 (अब दोनों परिवर्तित) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (छह) तथा (ग्यारह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर पूर्व निर्मित सब नियमों को उत्क्रमित करते हुए, राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं। जब तक कि ये नियम नवीन नियमों द्वारा अतिष्ठित न किए जाएँ, इन नियमों को उपयुक्त धाराओं के परिवर्तन के साथ पढना होगा।	हाँ
12.	धारा 70	राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 178–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1967 द्वारा धारा 73 (अब 70) की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (सात) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर पूर्व निर्मित समस्त नियमों को उत्क्रमित करते हुए, राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं।	हाँ

13.	धारा 71	राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 179–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा (निरसित अध्याय 7 की) धारा 74, 81 तथा 91 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (आठ), (दस) तथा (बारह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर पूर्व निर्मित समस्त नियमों को उत्क्रमित करते हुए, राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं।	हाँ
14.	धारा 77	शब्द समूह "जो कि विहित की जाए" का आशय इस संहिता के अधीन बने नियमों द्वारा विहित किए गए नियमों से हैं। निरसित अध्याय की धारा 77 के अधीन राज्य सरकार ने इस आशय के लिए नियम विहित किए थे। ये नियम संहिता की धारा 261 द्वारा व्यावृत (सुरक्षित) हैं। जब तक राज्य सरकार इन नियमों के स्थान पर नए नियमों के स्थान पर नियम नहीं बनाती है, तब तक इन नियमों को यथोचित परिवर्तनों के साथ काम में लाया जा सकता है। राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 180–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1967 द्वारा धारा 77 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (नौ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर पूर्व निर्मित सब नियमों को उत्क्रमित करते हुए, राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं।	हाँ
15.	धारा 87	राज्य सरकार द्वारा निरसित धारा 63 के अधीन नियम बनाए गए थे। धारा 261 द्वारा ये नियम व्यावृत (सुरक्षित) हैं और उन्हें यथयोग्य परिवर्तन के साथ प्रयुक्त किया जाएगा। म.प्र. राजपत्र दिनांक 8 मार्च 1963 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 235–नौ–63, दिनांक 24 जनवरी 1963 द्वारा राज्य सरकार ने संहिता की धारा 258 की उपधारा (1) के खंड (पाँच) के साथ पठित धारा 63 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम बनाए हैं।	हाँ

16.	धारा 98	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 181–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा धारा 93, 94(2), 95, 96, 97(1), 98(1) तथा 98(2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पंद्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर पूर्व निर्मित सब नियमों को उत्क्रमित करते हुए, राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं।	हाँ
17.	धारा 104	**उपसंगी क्षेत्र–अभिलेख का निर्णाम** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 30 मार्च 1962 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 463–1479–आठ–62, दिनांक 5 मार्च 1962 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 104 तथा 114 एवं 121 के अधीन उपसंग क्षेत्र अभिलेख नियम बनाए हैं।	हाँ
18.	धारा 104	**पटवारियों के संबंध में नियम** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 24 नवबंर 1967 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 3284–379–नौ–66, दिनांक 25 नवम्बर द्वारा संहिता की धारा 104 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं।	हाँ
19.	धारा 106	**भू–अभिलेख की तैयारी के लिए विहित कर्तव्य** – म. प्र. राजपत्र दिनांक 20 जुलाई 1962 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 1978–458–नौ–61, दिनांक 25 जून 1962 द्वारा संहिता की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
20.	धारा 107	**आबादी के नक्शे के विवरण** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 20 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 182–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 107 के अंतर्गत नियम बनाए हैं।	हाँ

21.	धारा 110	म.प्र. राजपत्र दिनांक 2 जुलाई 1965 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 2498–सात–ना–1, दिनांक 10 जून 1965 द्वारा संहिता की धारा 108, 109, 110, 112, धारा 114 की उपधारा (2) तथा धारा 123 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (चांबीस–क), (पच्चीस–क), (पच्चीस–ख), तथा (सत्ताइस–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए, और इस विषय पर पहले बनाए गए नियमों को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं।	हाँ
22.	धारा 120	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रं. 184–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 120 के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
23.	धारा 121	**खेत के नक्शे तथा खसरा पंचसाला के बारे में नियम** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 26 जून 1970 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 1586–1682–नौ–70, दिनांक 17 जून 1970 द्वारा धारा 121 के अधीन पूर्व में बनाए गए समस्त नियमों का निरस्त कर के नियम बनाए गए हैं।	हाँ
24.	धारा 124	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 185–6477–सात–भा–नियम, दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 124 की उपधारा (2) तथा (3) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
25.	धारा 127	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 186–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 127 के अंतर्गत नियम बनाए हैं।	नही
26.	धारा 129	म.प्र. राजपत्र दिनांक 12 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 187–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 7 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 129 के अंतर्गत नियम बनाए हैं।	हाँ

27.	धारा 135	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 188–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 135 की उपधारा (1) के अधीन नियम बनाए हैं।	नही
28.	धारा 140	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 189–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 140 की उपधारा (2) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
29.	धारा 142	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 1906–477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
30.	धारा 144	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 191–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 143 के अंतर्गत नियम बनाए हैं।	हाँ
31.	धारा 147	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 192–6477–सात–ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 146 तथा 147 के अधीन नियम बनाए हैं।	नही
32.	धारा 155	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 336–सी–आर–742–सात–ना–(नियम), दिनांक 11 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 155 के खंड (ग) के अधीन नियम बनाए हैं।	नही
33.	धारा 160	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 193–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 160 की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत नियम बनाए हैं।	हाँ

34.	धारा 161	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 194–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 161 की उपधारा (1) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
35.	धारा 166	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 196–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 166 के अधीन नियम बनाए हैं।	नही
36.	धारा 170	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 197–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 170 के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
37.	धारा 170–ख	**उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने से संबंधित नियम** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 18 सितंबर 1981 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2564–6–3–81–सात–1–सा., दिनांक 15 सितंबर 1981 द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 170–ख की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 259 की उपधारा (2) के खंड (चालीस–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं।	हाँ

38.	धारा 172	**म.प्र.भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 28 जून 1963 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 1183–सात–63, दिनांक 3 मई 1963 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 172 की उपधारा (1) के अधीन म.प्र. भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962 बनाए हैं। इन नियमों द्वारा पुराने नियम अतिष्ठित कर दिए गए। अधिसूचना क्र. 2324–आठ–43, दिनांक 9 दिसंबर 1963 द्वारा नवीन नियम दिनांक 1 जनवरी 1964 से प्रवृत्त किए गए। 1 जनवरी 1964 के पश्चात् प्रस्तुत किए आवेदनों के निपटारे के लिए नए नियमों का प्रयोग किया जाएगा, जबकि उसके पूर्व के मामलों से पुराने नियम लागू होंग।	हाँ
39.	धारा 173	त्यजन प्रभावशाली होकर भूमिस्वामी को भावी दायित्वों से मुक्त कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस धारा के अधीन निर्मित नियमों के अनुसार किया जाए। म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 198–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्स सरकार ने धारा 173 के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
40.	धारा 176	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 338–सी–आर–532–सात–ना–(नियम), दिनांक 11 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
41.	धारा 178	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 199–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं। यह स्मरणीय है कि इन नियमों में सन् 1964 में किए गए इस धारा के संशोधनों के अनुरूप संशोधन नही किए गए है ओर नियम 2 का कुछ अंश तथा नियम 7 इस संशोधन के पश्चात् अप्रभावी हैं।	हाँ

42.	धारा 179	**उपधारा (2) के अधीन नियम** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 200–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 179 की उपधारा (2) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
43.	धारा 179	**आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम** – म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 21.07.2000 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ 23–4–99–पच्चीस–5, दिनांक 14 जुलाई 2000 द्वारा मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं।	हाँ
44.	धारा 181–क	म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21.09.2010 पर प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ–2–16–2009–सात–6 दिनांक 21 सितम्बर 2010। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन 1959) की 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (पैंतालीस–क) के साथ पठित धारा 181–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं।	हाँ
45.	धारा 188	**लगान के भुगतान के लिए विहित तारीख** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 202–6477–सात–ना–(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 188 की उपधारा (2) के अधीन मौरूषी कृषक द्वारा भूमिस्वामी को लगान का भुगतान करने की तारीख विहित की है।	नही

46.	धारा 189	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 203–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 189 की उपधारा (3) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
47.	धारा 190	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 204–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 190 की उपधारा (5) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
48.	धारा 191	**पुनः स्थापन के आवेदन के लिए विहित परिसीमा –** म.प्र. राजपत्र दिनांक 05 जुलाई 1962 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 2539–3426–61–सात–ना(नियम), दिनांक 26 जून 1962 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 191 की उपधारा (1) के अधीन पुनःस्थापन का आवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियम बनाए हैं।	हाँ
49.	धारा 197	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 205–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 197 के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
50.	धारा 198	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 206–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 198 की उपधारा (4) तथा (5) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
51.	धारा 199	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 207–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 199 के अधीन भूमिस्वामी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्ररूप विहित करते हुए नियम बनाए हैं।	हाँ

52.	धारा 204	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 208–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 204 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार नियम बनाए हैं।	नही
53.	धारा 221	**म.प्र. खातों की चकबंदी नियम, 1959** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 06 अक्टूबर 1959 तथा 22 जनवरी 1960 में (दो बार) प्रकाशित अधिसूचना क्र. 11343–सात–ना(नियम), दिनांक 1 अक्टूबर 1959 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 221 के अधीन नियम बनाए हैं।	नही
54.	धारा 222	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 209–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 222, 223, 224, 226 तथा 228 के अधीनं नियम बनाए हैं।	हाँ
55.	धारा 224	**ग्राम को स्वच्छ रखने के संबंध में नियम** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 210–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 224 के अधीन ग्राम को साफ सुथरा रखने के बारे में नियम बनाए हैं।	हाँ
56.	धारा 230	**कोटवारी नियम** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 211–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 230 के अधीन नियम बनाए हैं।	नही
57.	धारा 231	**कोटवार के पारिश्रमिक नियम** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 212–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने संहिता की धारा 231 के अधीन नियम बनाए हैं।	नही

58.	धारा 233	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 214–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने संहिता की धारा 233 के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
59.	धारा 234	**निस्तार–पत्रक नियम** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 215–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने संहिता की धारा 234 तथा 237 के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
60.	धारा 237	म.प्र. राजपत्र दिनांक 19 मार्च 1999 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ. 2–28–97–सात–8, दिनांक 8 मार्च 1999 द्वारा इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए नियम बनाए हैं।	हाँ
61.	धारा 239	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 216–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने संहिता की धारा 239 के अधीन नियम बनाए हैं।	नही
62.	धारा 240	**म.प्र. वृक्षों की कटाई को प्रतिषेध या विनियमन नियम, 2007** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 24 मई 2002 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ. 2–50–2000–सात–शा–6, दिनांक 15 मई 2002 द्वारा राज्य सरकार ने म.प्र. राजपत्र दिनांक 8 अगस्त 1997 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ. 2–8–सात–शा–8–94, दिनांक 29 जुलाई 1997 निरसित करते हुए नियम बनाए थे। उक्त नियम निरसित करते हुए, म.प्र. राजपत्र दिनांक 7 दिसंबर 2007 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ. 2–39–04–सात–शा.–6, दिनांक 26 नवंबर 2007 द्वारा राज्य सरकार ने नए नियम बनाए हैं।	हाँ

63.	धारा 240	वनोत्पादों के नियंत्रण आदि के बारे में नियम – म.प्र. राजपत्र दिनांक 30 अक्टूबर 1964 में प्रकाशित अधिसूचना क्र.5262–3472–सात–ना(नियम), दिनांक 28 सितंबर 1964 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 240 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार नियम बनाए हैं।	हाँ
64.	धारा 241	**म.प्र. शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काट कर गिराने तथा हटाने का विनियमन नियम, 2002** – म.प्र. राजपत्र दिनांक 24 मई 2002 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ. 2–50–2000–सात–शा–6, दिनांक 15 मई 2002 द्वारा राज्य सरकार ने म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 218–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा बनाए गए नियम निरस्त करते हुए नवीन नियम बनाए थे। उक्त नियम निरसित करते हुए म.प्र. राजपत्र दिनांक 7 दिसंबर 2007 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. एफ–2–39–04–सात–शा–6, दिनांक 26 नवंबर 2007 द्वारा राज्य सरकार ने नए नियम बनाए हैं:	हाँ
65.	धारा 242	उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियम – म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 219–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 242 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
66.	धारा 244	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 220–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 244 के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ

67.	धारा 248	उपधारा (2–ख) के अधीन नियम – म.प्र. राजपत्र दिनांक 21 जनवरी 1977 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 6–2–76–सात–ना–1, दिनांक 13 दिसंबर 1976 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 248(2–ख) के प्रयोजनों के लिए नियम बनाए हैं।	नही
68.	धारा 249	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 221–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 249 के अंतर्गत नियम बनाए हैं।	हाँ
69.	धारा 250–क	म.प्र. राजपत्र दिनांक 18 सितंबर 1981 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 2565–6–3–81–सात–1–सात, दिनांक 15 सितंबर द्वारा संहिता की धारा 250–क के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने धारा 250–क से संबंधित नियम बनाए हैं।	नही
70.	धारा 251	उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियम – म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 222–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 251 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
71.	धारा 251	उपधारा (6) के अधीन नियम – म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 223–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने उपधारा (6) के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
72.	धारा 252	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 224–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 252 के अधीन नियम प्रकाशित किए हैं।	हाँ

73.	धारा 255	म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 225–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 255 के अधीन नियम बनाए हैं।	हाँ
74.	धारा 256	राजस्व अभिलेख नियम, 1959 – म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 226–6477–सात–ना(नियम), दिनांक 6 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं।	हाँ

वीणा घाणेकर, वरिष्ठ सलाहकार.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.